हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 10/2023 तेजकंवर वगै. बनाम रिपुदमनसिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 18.07.2023

उपस्थिति

1. अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री तरूण व्यास

अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 04.11.2022 को अपीलांट/वादी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण मातहत अदालत में पैरवी हेतु हाजिर नहीं हो सके प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा जिसका न्यायहित में सुना जाना अति आवश्यक है। अपीलांटस द्वारा म्याद को कंडोन करने हेतु धारा 05 परिसीमा अधिनियम का पेश किया गया है उसे स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर मूल वाद को पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बार बार सूचना देने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। हस्तगत अपील मियाद बाहर पेश की गई इसलिये म्याद के बिन्दू पर ही यह अपील काबिल खारिज है। अपीलांटस की वजह से रेस्पोडेंटस को बार बार बाड़मेर मुख्यालय पर पेशी पर आना पड़ रहा है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय ही नहीं है तथा अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनः बरामद करने हेतु आवेदन ही पेश नहीं किया गया। अपीलांटस को किसी भी प्रकार का अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस/वादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना निर्णय पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस को न्याय से वंचित करना विधि सम्मत नहीं है। अपील का निस्तारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर निस्तारित कर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। अतः अपीलांटस की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल वाद को पुन नंबर पर दर्ज कर अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 18.07.2023 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर